

राजस्थान सरकार
निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक: निदे/अ.ख.अ. नीलामी/नीलामी(ML Bajri VIII/2024/ई - 7250

ई-नीलामी विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के अध्याय-III के अन्तर्गत अप्रधान खनिज बजरी के खननपट्टे ई-नीलामी (e-auction) के माध्यम से आवंटित किये जाने हैं, जिसके लिए इच्छुक बोलीदाता आवेदन शुल्क व बिड की प्रतिभूति राशि जमा कर ई-नीलामी में भाग ले सकता है। ई-नीलामी में भाग लेने वाले बोलीदाताओं को आवेदन शुल्क रुपया 10,000/- तथा बिड प्रतिभूति राशि (नीचे अंकित तालिका अनुसार) निर्धारित तिथि तक ई-नीलामी की सेवा प्रदाता कम्पनी एम.एस.टी.सी. लिमिटेड को जमा कराना आवश्यक होगा। आवंटित किये जाने वाले खनन पट्टों (प्लॉट) का विवरण एवं बोली की निर्धारित तिथियां व समय निम्नानुसार है :-

क्र. स.	कार्यालय का नाम जिसमें खनन प्लॉट स्थित हैं एवं प्लॉट क्रमांक	खनन पट्टा (प्लॉट) का विवरण				प्लॉट का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	खनिज बजरी की वार्षिक उपलब्ध मात्रा (टन में)	बिड प्रतिभूति राशि (रुपयों में)	आरक्षित राशि (रुपयों में)	बोली लगाने हेतु आवेदन शुल्क व बिड प्रतिभूति राशि जमा कराने की अंतिम तिथि	ऑनलाईन बोली की दिनांक	ऑनलाईन बोली का समय	एनेक्शर क्रमांक जहां प्लॉट का विस्तृत विवरण अंकित है। (नोट:- एनेक्शर वेबसाइट पर अपलोड इस विज्ञप्ति के साथ संलग्न है।)
		भूमि का प्रकार	राजस्व ग्राम	तहसील	जिला								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	खनि अभियंता, सोजत सिटी प्लॉट क्रमांक: 132 (बजरी प्लॉट संख्या-14)	गैर मुमकिन नदी	माण्डल	रानी	पाली	77.0331	155992.0275	40 लाख	3081360	25.09.24	26.09.24	10.30 ए.एम. से 12.30 पी. एम.	एनेक्शर-1
2	खनि अभियंता, जोधपुर प्लॉट क्रमांक: BJRJD 10	गैर मुमकिन नदी	बाला व लाम्बा	बिलाड़ा	जोधपुर (ग्रामीण)	88.7148	359295	40 लाख	3548600	25.09.24	26.09.24	01.00 पी.एम. से 03.00 पी. एम.	एनेक्शर-2
3	खनि अभियंता, भीलवाड़ा प्लॉट क्रमांक: बीजे-40	गैर मुमकिन नदी	गुवारड़ी	हमीरगढ़	भीलवाड़ा	95.8210	1034867	40 लाख	3832840	25.09.24	26.09.24	03.00 पी.एम. से 05.00 पी. एम.	एनेक्शर-3
4	सहायक खनि अभियंता, टोंक प्लॉट क्रमांक: 37 (बजरी प्लॉट नम्बर-8)	गैर मुमकिन नदी	पालड़ा	टोंक	टोंक	62.6400	2255040	40 लाख	2505600	07.10.24	08.10.24	10.30 ए.एम. से 12.30 पी. एम.	एनेक्शर-4

Signature valid



Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Designation : Director
Date: 2024.07.09 15:02:31 IST
Reason: Approved Page 1 of 7
8756772

5	खनि अभियंता, सिरौही प्लॉट क्रमांक बीजे-05/2023	गैर मुमकिन नदी	अवाड़ा, डिडवनाखेड़ा	रेवदर	सिरौही	42.2571	239598	40 लाख	1690320	07.10.24	08.10.24	01.00 पी.एम. से 03.00 पी. एम.	एनेक्शर-5
6	खनि अभियंता, सोजत सिटी प्लॉट क्रमांक: 124 (बजरी प्लॉट संख्या-06)	गैर मुमकिन नदी	दिवान्दी	रोहट	पाली	88.5774	1255584.64	40 लाख	3543120	07.10.24	08.10.24	03.00 पी.एम. से 05.00 पी. एम.	एनेक्शर-6
7	खनि अभियंता, जोधपुर प्लॉट क्रमांक: BJRD 12	गैर मुमकिन नदी	झांक	बिलाड़ा	जोधपुर (ग्रामीण)	80.6987	283252	40 लाख	3227960	08.10.24	09.10.24	10.30 ए.एम. से 12.30 पी. एम.	एनेक्शर-7
8	सहायक खनि अभियंता, टोंक प्लॉट क्रमांक: 38 (बजरी प्लॉट नम्बर-9)	गैर मुमकिन नदी	बोरदा	टोंक	टोंक	40.7500	1467000	40 लाख	1630000	08.10.24	09.10.24	01.00 पी.एम. से 03.00 पी. एम.	एनेक्शर-8
9	खनि अभियंता, सोजत सिटी प्लॉट क्रमांक: 119 (बजरी प्लॉट संख्या-01)	गैर मुमकिन नदी	दादाई	देसूरी	पाली	53.15	807173	40 लाख	2125920	08.10.24	09.10.24	03.00 पी.एम. से 05.00 पी. एम.	एनेक्शर-9
10	खनि अभियंता, भीलवाड़ा प्लॉट क्रमांक: बीजे-21	गैर मुमकिन नदी	अभयपुरा	बागूदार	शाहपुरा	97.9452	1057807	40 लाख	3917840	14.10.24	15.10.24	10.30 ए.एम. से 12.30 पी. एम.	एनेक्शर-10
11	खनि अभियंता, सोजत सिटी प्लॉट क्रमांक: 125 (बजरी प्लॉट संख्या-07)	गैर मुमकिन नदी	दिवान्दी	रोहट	पाली	97.1985	1255584.64	40 लाख	3887960	14.10.24	15.10.24	01.00 पी.एम. से 03.00 पी. एम.	एनेक्शर-11
12	सहायक खनि अभियंता, टोंक प्लॉट क्रमांक: 39 (बजरी प्लॉट नम्बर-10)	गैर मुमकिन नदी	बोरदा	टोंक	टोंक	88.2944	3178598	40 लाख	3531800	14.10.24	15.10.24	03.00 पी.एम. से 05.00 पी. एम.	एनेक्शर-12

अ महत्वपूर्ण बिंदु:-

- 1 खनिज बजरी के खनन पट्टे की अवधि संविदा पंजीयन की दिनांक से 5 वर्ष के लिये होगी।
- 2 आंशिक किये जाने वाले प्लॉटों की लोकेशन एवं अन्य सूचनाएँ उपरोक्त तालिका के कॉलम संख्या 14 के अनुसार प्रत्येक प्लॉट के लिए निर्धारित एनेक्शर पर उपलब्ध है। उक्त सूचना विभागीय वेबसाइट www.mines.rajasthan.gov.in पर तथा सेवा प्रदाता एमएसटीसी लिमिटेड की वेबसाइट www.mstcecommerce.com पर भी उपलब्ध है, जहां से डाउनलोड की जा सकती है। नीलाम किये जा रहे खनन प्लॉट जहाँ है, जैसे है के आधार पर नीलाम किए जा रहे हैं। बोलीदाता सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर के आधार पर प्लॉट का निरीक्षण अपने स्तर पर करेगा। प्लॉट की स्थिति, उपलब्ध खनिज, पहुँच के रास्ते एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं इत्यादि बाबत बोलीदाता पूर्ण रूप से बोली लगाने से पूर्व स्वयं को आश्वस्त करेगा। इस संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति/शिकायतें बाद में स्वीकार नहीं की जायेगी।

Signature valid

Digitally signed by Bhagwati Prasad
Kalal
Designation : Director
Date: 2024.07.09 15:02:31 IST
Reason: Approved Page 2 of 7

8756772

- 3 ई-नीलामी प्रीमियम राशि की होगी तथा प्रीमियम राशि खननपट्टा अवधि में केवल एक बार जमा करानी होगी। उच्चतम बोलीदाता को प्रीमियम की राशि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 13 के तहत 4 किशतों में जमा करानी होगी। प्रथम किशत (बोली राशि की 40 प्रतिशत राशि के बराबर) ई-ऑक्शन पूर्ण होने की तिथि से 15 दिन में जमा करानी होगी, द्वितीय किशत (बोली राशि की 20 प्रतिशत राशि के बराबर) संविदा निष्पादन के पूर्व, तृतीय किशत (बोली राशि की 20 प्रतिशत राशि के बराबर) खनन पट्टा के द्वितीय वर्ष के प्रारंभ में व अंतिम किशत (बोली राशि की 20 प्रतिशत राशि के बराबर) तृतीय वर्ष के प्रारंभ में जमा करानी होगी। उक्त प्रीमियम राशि का समायोजन स्थिर भाटक, रॉयल्टी इत्यादि में नहीं होगा।
- 4 खननपट्टे का आवंटन एवं ई-ऑक्शन की प्रक्रिया राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 एवं इसके तहत जारी विज्ञप्ति के अंतर्गत होगी।
- 5 खनन पट्टा धारक को खनिज बजरी के खनन/निर्गमन हेतु जारी होने वाली पर्यावरण अनुमति के लिए प्रतिवर्ष आवश्यक रिप्लेनिशमेंट स्टडी विभागीय एंजेंसी द्वारा कराये जाने पर विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क राशि के रूप में जमा करानी अनिवार्य होगी।
- 6 यदि भविष्य में उक्त विज्ञप्ति के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन किया जाता है तो इसकी सूचना विभागीय वेबसाईट व सेवा प्रदाता एम.एस.टी.सी. की वेबसाईट पर दी जावेगी। इसका प्रकाशन समाचार पत्रों में अलग से नहीं किया जावेगा।
- 7 प्रत्येक प्लॉटों की प्रथम बार ई-नीलामी हेतु कम से कम 2 बोलीदाताओं का होना आवश्यक है। यदि ई-नीलामी के प्रथम प्रयास में दो से कम बोलीदाताओं द्वारा भाग लिया जाता है तो बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित नहीं किया जायेगा तथा ई-नीलामी रद्द की जायेगी। ई-नीलामी के द्वितीय प्रयास में यदि किसी प्लॉट में दो से कम बोलीदाता रहते हैं तो एकल बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित कर दिया जायेगा।

ब बोलीदाता के लिए बोली में भाग लेने की प्रक्रिया:-

- 1 ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों को www.mstcecommerce.com के पोर्टल से पंजीयन कराना होगा। यदि किसी व्यक्ति / फर्म / कम्पनी आदि ने पूर्व में ही एमएसटीसी लिमिटेड के पोर्टल में पंजीयन करा रखा है तो उन्हें पुनः पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। पंजीयन हेतु पोर्टल के होम पेज में उपलब्ध पंजीयन मार्गदर्शिका (मैन्युअल) अथवा एमएसटीसी लिमिटेड के फोन नंबर पर आवश्यकतानुसार मदद ली जा सकती है।
- 2 ई-नीलामी की प्रक्रिया के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिये सेवा प्रदाता की वेबसाईट पर एवं उनके किसी भी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। जयपुर कार्यालय का पता- कमरा नं0 114, फर्स्ट फ्लोर, बीएसएनएल बिल्डिंग, लाल कोठी, नगर निगम के पीछे, जयपुर है व फोन न. 0141-2742208 है। विभागीय हेल्पलाइन नम्बर 0294-2415091 (एक्सटेंशन नम्बर 212, 219) है।
- 3 पंजीयन प्रक्रिया के वक्त पंजीयनकर्ता के पास वैध ई-मेल आईडी और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) होना आवश्यक है उक्त सर्टिफिकेट साइनिंग टाइप एवं न्यूनतम क्लास-1 का होना चाहिए। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्राप्त करने की प्रक्रिया वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर दी गई है। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के पासवर्ड की गोपनीयता बोलीदाता को ही रखनी होगी।
- 4 पंजीयन हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फार्म भरने के बाद एम.एस.टी.सी. द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की सूची (जैसे पैन कार्ड, एड्रेस प्रुफ, बैंक अकाउन्ट नम्बर, बैंक से हस्ताक्षर का प्रमाणीकरण, डी.एस.सी. सीरियल नम्बर, फर्म / कम्पनी होने की दशा में अधिकृत व्यक्ति का पैन कार्ड एवं एड्रेस प्रुफ, रजिस्ट्रेशन फीस 10000/- व जी.एस.टी. जमा कराने पर जारी यू.टी.आर. नम्बर) बोलीदाता को उसके ई-मेल आई.डी. पर भिजवाई जावेगी। बोलीदाता को रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराते हुये दस्तावेज एम.एस.टी.सी. को ई-मेल से भिजवाने होंगे।

स ई-नीलामी की प्रक्रिया

- 1 ई-नीलामी में भाग लेने हेतु बोलीदाता द्वारा सर्वप्रथम अपने डिजिटल सिग्नेचर बनवाकर एमएसटीसी में पंजीयन कराने के उपरान्त नीलामी विज्ञप्ति में अंकित निर्धारित समय व तिथि तक प्रत्येक प्लॉट हेतु **नॉन-रिफण्डेबल आवेदन शुल्क राशि 10,000/- एवं बिड सिक्यूरिटी जमा करा देने पर ऑनलाइन बोली में भाग ले सकेगा।** बोलीदाता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह प्रत्येक प्लॉट के लिए अलग-अलग आवेदन शुल्क व बिड सिक्यूरिटी जमा करायें। बोलीदाता द्वारा एक लम्पसम राशि भी जमा करवाई जा सकती है जिसमें से वह जिस-जिस प्लॉट हेतु बोली लगायेगा, उस प्लॉट के अनुसार आवेदन शुल्क व बिड सिक्यूरिटी राशि लम्पसम राशि में से कम होती जायेगी।

Signature valid

Digitally signed by Bhagwati Prasad
Kalal
Designation : Director
Date: 2024.07.09 15:02:31 IST
Reason: Approved
8756772



- 2 बोलीदाता द्वारा आवेदन शुल्क एवं बिड सिक्योरिटी जमा कराने पर यह माना जावेगा कि बोलीदाता द्वारा ई-नीलामी की शर्तें एवं आर.एम.एम.सी.आर., 2017 के प्रावधानों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन कर लिया गया है। बोली प्रस्तुत करने में किसी भी असावधानी, गलती अथवा कमी हेतु बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 3 बोलीदाता द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर (डीएससी जिसके सिरियल नम्बर बोलीदाता द्वारा एमएसटीसी को दिये गये हैं) से ही बोली प्रस्तुत की जा सकेगी।
- 4 बोली प्रिमियम की आरक्षित दर (रिजर्व प्राइज) जो कि कॉलम संख्या 10 में अंकित है, से कम स्वीकार नहीं की जायेगी।
- 5 बोलीदाता जिस प्लॉट के लिए बोली लगाना चाहता है। उसके लिए बिड प्रतिभूति राशि नियत तिथि को जमा कराते हुए प्लॉट की नीलामी के तय समय के दौरान "सेल्फ ओथराइज" करना आवश्यक है, अन्यथा वे नीलामी की निर्धारित समयावधि के अंतिम समय के पश्चात् अतिरिक्त समय में चल रही बिडिंग में भाग नहीं ले सकेंगे।
- 6 उच्चतम बोलीदाता के अतिरिक्त अन्य भाग लेने वाले बोलीदाताओं की जमा बिड प्रतिभूति राशि बोली समाप्ति के पश्चात् अधिकतम अगले कार्यदिवस तक संबंधित बोलीदाता को लौटा दी जावेगी। लेकिन आवेदन-शुल्क नहीं लौटाया जायेगा।
- 7 बोलीदाता अपनी बोली नीलामी पूर्ण होने से पूर्व कितनी भी बार बढ़ा सकता है। नीलामी समाप्ति के निर्धारित समय से आठ मिनट के अन्दर यदि कोई बोली प्राप्त होती है तो बोली का समय, बोली प्रस्तुत करने के समय से आठ मिनट स्वतः ही बढ़ जावेगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक अंतिम आठ मिनट में कोई बोली प्राप्त नहीं होती है। बोली 5000 रुपये के गुणांक (multiple) में बढ़ाई जा सकेगी।
- 8 उच्चतम बोलीदाता का चयन कम्प्यूटर सिस्टम द्वारा स्वतः किया जावेगा। जिसकी सूचना सेवा प्रदाता द्वारा जरिये ई-मेल उच्चतम बोलीदाता को भेजी जावेगी।
- 9 एमएसटीसी लि0 द्वारा सफल बोलीदाता द्वारा जमा कराई गई बिड प्रतिभूति राशि संबंधित खनि अभियंता/ सहायक खनि अभियंता कार्यालय में नीलामी समाप्ति के पश्चात् तत्काल ट्रांसफर कर दी जायेगी। जिसकी सूचना सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा जरिये ई-मेल उच्चतम बोलीदाता तथा संबंधित खनि अभियंता/ सहायक खनि अभियंता कार्यालय को भेजी जायेगी। उक्त बिड प्रतिभूति राशि यदि प्रतिसंहत नहीं होती है तो उच्चतम बोलीदाता द्वारा जमा कराई जाने वाली प्रथम किश्त में समायोजित की जायेगी।
- 10 सफल बोलीदाता को बोली समाप्ति के 15 दिवस में बिड सिक्योरिटी राशि से समायोजन उपरान्त प्रथम किश्त बोली राशि की 40 प्रतिशत से मे बची हुई राशि जमा कराते हुए, निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे:-
- (i) बोलीदाता के नाम अथवा उसके परिवारजनों के नाम अथवा उसके जोईन्ट इन्ट्रेस्ट में वर्तमान में अथवा पूर्व में कोई ठेका/खनन पट्टा/क्वारी लाईसेंस धृत रहा हो तो संबंधित सभी खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता कार्यालयों द्वारा जारी नो-ड्यूज प्रमाण पत्रों जो कि ई-नीलामी विज्ञप्ति तिथि से 6 माह से अधिक पुराना ना हो प्रस्तुत करना होगा।
- (ii) विभागीय ना बकाया कें संबंध में शपथ-पत्र:- यदि बोलीदाता के नाम अथवा उसके परिवारजनों के नाम व उसके जोईन्ट इन्ट्रेस्ट में पूर्व में या वर्तमान में कोई ठेका/खनन पट्टा/क्वारी लाईसेंस धृत नहीं रहा हो तो, इस संबंध में नोटरी सत्यापित शपथ पत्र रूपया 100/- के स्टाम्प पेपर की स्कैन प्रति देनी है। शपथ पत्र के प्रारूप अ,ब,स,द,ई वेबसाइट पर अपलोड है, जो भी लागू हो, उसी अनुसार शपथ-पत्र तैयार किया जावें।
1. यदि बोलीदाता **Individual** (व्यक्ति) हो तो प्रारूप 'अ' में शपथ पत्र प्रस्तुत करना है। 2. यदि बोलीदाता भागीदारी फर्म हो तो प्रत्येक भागीदार को पृथक पृथक प्रारूप 'ब' में तथा फर्म के पॉवर ऑफ एटोर्नी होल्डर को प्रारूप 'स' में फर्म का शपथ पत्र प्रस्तुत करना है। 3. यदि बोलीदाता कम्पनी हो तो प्रत्येक निदेशक को पृथक पृथक प्रारूप 'द' में तथा कम्पनी के अधिकृत व्यक्ति को प्रारूप 'ई' में कम्पनी का शपथ पत्र प्रस्तुत करना है।
- नोट**-शपथ पत्र के प्रारूप अ, ब तथा द में बिन्दु संख्या 2 एवं शपथ पत्र के प्रारूप स तथा ई में बिन्दु संख्या 3 में जो लागू हो, वहीं शपथ पत्र में अंकित किया जावे।
- (iii) बोलीदाता कम्पनी होने की दशा में कम्पनी का मेमोरेन्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एवं सर्टिफिकेट ऑफ इन्कोर्पोरेशन की प्रति।
- (iv) बोलीदाता फर्म होने की दशा में फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं पार्टनरशिप डीड की प्रति।
- (v) आवेदक फर्म होने पर पॉवर ऑफ एटोर्नी (आरएमएमसीआर 2017 के फाट नमूने में) की प्रति तथा आवेदक के कम्पनी होने पर अधिकृत व्यक्ति के बोर्ड रिजोल्यूशन की प्रति।

Signature valid

Digitally signed by Bhagwati Prasad
Kalal
Designation : Director
Date: 2024.07.09 15:02:31 IST
Reason: Approved Page 4 of 7
8756772

(vi) PAN card / GSTIN की प्रति।

(vii) एड्रेस प्रुफ हेतु आधार कार्ड/ड्राईविंग लाईसेन्स/मतदाता पहचान पत्र इत्यादि की प्रति।

(viii) ईमेल एड्रेस एवं मोबाईल नंबर साधारण कागज या लेटर पेड पर अंकित करते हुये।

11 यदि सफल बोलीदाता द्वारा निर्धारित 15 दिवस की अवधि में प्रथम किश्त की संपूर्ण राशि एवं दस्तावेज जमा नहीं कराये जाते हैं, तो उसकी जमा बिड प्रतिभूति राशि जब्त करते हुये आगामी पांच वर्षों हेतु ई-ऑक्शन में भाग लेने से डिबार किया जायेगा।

द शासन के पत्र क्रमांक प.20(8)खान/गुप-2/2023 पार्ट दिनांक 07-10-2023 से खनिज बजरी के खननपट्टे आवंटन की प्रक्रिया एवं मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) जारी की गई है। मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) में वर्णित बिन्दुओं की तथा उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधन अनुसार पालना खनन पट्टाधारी को अनिवार्य रूप से करनी होगी:-

- 1 प्लॉट के क्षेत्र में लीजधारक द्वारा नदी के किनारों से भारत सरकार द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand, 2020 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार सुरक्षित दूरी छोड़ते हुए खनन कार्य किया जावेगा।
- 2 लीज धारक नदी के 2 किलोमीटर परिधि में दो स्टॉक स्थल का चयन करेगा जिस पर खातेदार से पंजीकृत सहमति प्राप्त कर नियमानुसार बजरी स्टॉक करेगा। स्टॉक स्थल पर सीसीटीवी कैमरा, खनिज का आवक-जावक रजिस्टर व वे-ब्रिज स्थापित करेगा। स्टॉक स्थल पर एन्ट्री व एक्जिट पॉइन्ट अलग-अलग होंगे।
- 3 जिन क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा वे-ब्रिज स्थापित/अधिकृत किये जायेंगे, उन क्षेत्रों में राज्य सरकार के स्थापित/अधिकृत निकटतम तीन तुलाई यंत्रों में से किसी एक पर ही बजरी वाहनों का वजन तथा रवन्ना confirm कराया जाना आवश्यक होगा।
- 4 जिन प्लॉटों में नदी क्षेत्र में बजरी की मात्रा आनुपातिक रूप से कम है (जैसे नदी के उद्गम के बाद से बहाव क्षेत्र की शुरुआती दूरी), ऐसे क्षेत्रों में बजरी खनन के लिए एच.ई.एम.एम. मशीन द्वारा खनन प्रतिबंधित रहेगा एवं ऐसे प्लॉटों में मैनुवेल माईनिंग का प्रावधान रखा जावेगा।
- 5 लीजधारक खनिज बजरी का चिन्हित (अनुमोदित) स्टॉक पर बेचान की अधिकतम कीमत राज्य सरकार द्वारा वसूल की जाने वाली रॉयल्टी की 4 गुना होगी, जिसमें रॉयल्टी, डी.एम.एफ.टी, आर.एस.एम.ई.टी अन्य समस्त कर एवम् लोडिंग सम्मिलित होगी जो समय-समय पर रॉयल्टी की दरों में परिवर्तन होने पर समानुपातिक रूप से परिवर्तनशील रहेगी एवं तदनुसार चिन्हित (अनुमोदित) स्टॉक पर बेचान की अधिकतम कीमत का पुनः निर्धारण किया जा सकेगा। बजरी की बेचना की अधिकतम कीमत में नदी से बजरी की भराई, बजरी का नदी से स्टॉक स्थल पर परिवहन तथा स्टॉक स्थल से बजरी की पुनः भराई की लागत सम्मिलित है। निर्धारित अधिकतम दर से अधिक दर पर खनिज बजरी का विक्रय चिन्हित (अनुमोदित) स्टॉक पर नहीं किया जा सकेगा।
- 6 पट्टाधारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना/पर्यावरण स्वीकृति व अन्य स्वीकृतियों में वर्णित शर्तों के अनुसार ही खनन पट्टा क्षेत्र में खनिज बजरी का खनन किया जावेगा। अनियमितता होने की स्थिति में नियमानुसार खनन पट्टे में जमा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए खनन पट्टा निरस्त कर दिया जावेगा।
- 7 खनन पट्टा धारक द्वारा खनिज बजरी के खनन/निर्गमन के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों, अन्य न्यायालयों, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के आदेशों/निर्देशों की पालना करनी होगी। साथ ही खनन कार्य, सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं जन सुविधाओं के संबंध में वर्तमान में प्रभावी अधिनियम/नियमों तथा समय-समय पर होने वाले संशोधनों की पालना करनी होगी।
- 8 गैर-मुमकिन नदी नालों के क्षेत्रों में जहां पर किसी भी विभाग द्वारा अन्य कार्यों यथा पेटा काश्त या अन्य किसी प्रयोजनार्थ व्यक्ति/संस्था को अनुमति दी गई है/आवंटित की हुई है तो ऐसे क्षेत्रों में खनन पट्टाधारक संबंधित व्यक्ति/संस्था (जिसके पक्ष में अनुमति दी हुई है/आवंटित है) की लिखित सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनिज बजरी का दोहन कर सकेगा।
- 9 खनन पट्टा धारक गैर-मुमकिन नदी-नाला क्षेत्रों में गिरने वाले प्रतिबंधित क्षेत्र जैसे शमशान, सार्वजनिक प्रयोजनार्थ कुएं, से 45 मीटर की परिधि में, सतह से 3 मीटर से अधिक गहराई पर तथा अन्य किसी वन विभाग या अन्य प्रतिबंधित क्षेत्रों में खनन कार्य नहीं कर सकेगा। खनन पट्टाधारक समय-समय पर जारी निर्देशों/पर्यावरण अनुमति में अनुमत गहराई, जो भी कम हो, तक खनन कार्य सीमित रखेगा।

Signature valid

Digitally signed by Bhagwati Prasad
Kalal
Designation : Director
Date: 2024.07.09 15:02:31 IST
Reason: Approved
8756772

- 10 खनन पट्टा धारक द्वारा क्षेत्र में कोई स्ट्रक्चर जो कि अवरुद्ध करता हो, नहीं बनायेगा। खनन कार्य हेतु उपयुक्त गहराई की बेंचेज बनानी होगी। खनन कार्य हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय/अन्य न्यायालयों तथा सैंड माइनिंग गाइडलाइन्स के अनुसार किया जावेगा।
- 11 खनन पट्टा धारक खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर खनन कार्य नहीं करेगा।
- 12 खनन पट्टा धारक द्वारा बजरी खनन कार्य सतह से 3 मीटर से अधिक गहराई पर एवं नदी-नालों के वाटर लेवल से नीचे नहीं किया जायेगा तथा रेल/सड़क पुल के 45 मीटर की परिधि में खनन कार्य नहीं किया जायेगा।
- 13 खनन पट्टा धारक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र में जगह-जगह माइनिंग नहीं की जावेगी।
- 14 खनन पट्टा क्षेत्र में खनिज बजरी की माइनिंग नदी के बीच में डाउन स्ट्रीम के बीच में आधा मीटर मोटाई की स्लाईस में की जा सकेगी। नदी की गहराई पर मिट्टी की सतह पर 1.5 मीटर ऊपर बजरी छोड़नी होगी।
- 15 नदी के दोनों किनारों पर FAUNA & FLORA को संरक्षित रखना होगा।
- 16 जिन स्थानों पर बजरी का खनन कार्य किया जा चुका है, उन स्थानों को नदी में उपलब्ध भराव से ही समतल करके पाट दिया जावेगा। इसके लिए बाहर का कोई कचरा/मलबा नहीं डाला जा सकेगा।
- 17 नदी क्षेत्र में खनन कार्य इस प्रकार किया जावेगा कि आस-पास पौधारोपण पुनः पनप सकें। खनन क्षेत्र के आसपास स्थानीय प्रजातियों के वृक्षों का पौधारोपण किया जावेगा। जो रास्ते अनुपयोगी हैं, उनको स्थानीय प्रजाति के पौधों से वृक्षारोपण किया जावेगा।
- 18 नदी / नालों का एवं इनके आसपास जो नहरें बनी हुई है उनका प्रवाह बाधित नहीं किया जावेगा तथा उनके किनारों का समुचित रख रखाव किया जावेगा।
- 19 प्रदेश में मानसून प्रारम्भ व समाप्ति की अवधि 1 जुलाई से 31 अगस्त तक होगी। पट्टेधारी को मानसून अवधि में दो माह खनन कार्य खनन पट्टा क्षेत्र में बंद रखना होगा। इस अवधि में पट्टेधारी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 11-11-2021 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार नदी नालों से 2 किमी. की परिधि में अधिकतम तीन स्थान (location) अनुमत करा भण्डारण कर निर्गमन करने की अनुमति दी जायेगी।
- 20 खननपट्टाधारी द्वारा Central Empowered Committee द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 23.12.2020 के पैरा संख्या 11(III) तथा MoEF&CC द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand, 2020 की पालना की जानी होगी।
- 21 पट्टेधारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अधिशुल्क निर्धारण करवाना होगा।
- 22 पट्टेधारी द्वारा नियमानुसार अधिशुल्क राशि का दस प्रतिशत राशि के बराबर डी.एम.एफ.टी.) राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट नियम, 2020 के नियम 8 के उप-नियम 3 के अंतर्गत आर.एस.एम.ई.टी. व अन्य देय राशि जमा करानी होगी।
- 23 पट्टाधारी को खनिज बजरी के खनन/निर्गमन के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अन्य न्यायालयों, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के आदेशों/निर्देशों की पालना करनी होगी। साथ ही खनन कार्य, सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं जन सुविधाओं के संबंध में वर्तमान में प्रभावी अधिनियम/नियमों तथा समय-समय पर होने वाले संशोधनों की पालना करनी होगी।
- 24 खनिज बजरी के खनन के दौरान निकलने वाला खनिज ग्रेवल/बोल्डर्स का प्रत्येक एक कि०मी० के बाद इकट्ठा किया जाकर उसकी दीवार इस प्रकार बनाई जावेगी कि पानी का बहाव अवरुद्ध न हो।

(भगवती प्रसाद)IAS
निदेशक

Signature valid

Digitally signed by Bhagwati Prasad
Kalal
Designation : Director
Date: 2024.07.09 15:02:31 IST
Reason: Approved Page 6 of 7
8756772

क्रमांक: निदे/अ.ख.अ. नीलामी/नीलामी(ML Bajri VIII / 2024 / ई - 7250

प्रतिलिपि :-

- 1- शाखा प्रबंधक, एमएसटीसी लिमिटेड को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन एम एस टी सी की वेबसाइट पर आज ही किया जाना सुनिश्चित करें।
- 2- नोडल अधिकारी, डीएमजीओएमएस, के. का. उदयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन विभागीय वेबसाइट पर आज ही किया जाना सुनिश्चित करें।
- 3 - नोटिस बोर्ड, निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
- 4- निम्न को उनके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु :-
- 5- अतिरिक्त निदेशक (खान) उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा।
- 6- अतिरिक्त निदेशक (भूविज्ञान) उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर।
- 7- उपविधि परामर्शी, के का उदयपुर को विज्ञप्ति के संबंध में केवियट दायर करने की कार्यवाही हेतु प्रतिलिपि प्रेषित है।
- 8- अधीक्षण खनि अभियंता - उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर/भरतपुर/अजमेर/भीलवाडा/राजसमंद।
- 9- अधीक्षण भूवैज्ञानिक - उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर/भरतपुर/अजमेर/भीलवाडा/राजसमंद।
- 10- खनि अभियन्ता, जयपुर/अजमेर/सीकर/मकराना/भरतपुर/करौली/धौलपुर /अलवर/कोटा/रामगंजमण्डी/बून्दी-I/II/जोधपुर/सिरोही/बीकानेर/नागौर/सोजत/उदयपुर/राजसमन्द-I/ II/आमेर/भीलवाडा/चित्तोडगढ़/प्रतापगढ़/बिजौलिया/झुंझुनू/ब्यावर/जालोर/बाडमेर/श्रीगंगानगर/ दुंगरपुर/बांसवाडा/जैसलमेर।
- 11-सहायक खनि अभियन्ता, टौक/कोटपुतली/झालावाड/बालेसर/गोटन/ सलूमबर/ऋषभदेव/निम्बाहेडा/सवाईमाधोपुर/बांरा/दौसा/रूपवास/हनुमानगढ़/चुरू/नीमकाथाना/सावर/खेतड़ी।

(भगवती प्रसाद)IAS
निदेशक

Signature valid

Digitally signed by Bhagwati Prasad
Kalal
Designation : Director
Date: 2024.07.09 15:02:31 IST
Reason: Approved Page 7 of 7
8756772

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सोजत सिटी, जिला पाली
खनिज भवन, वाटर वर्क्स रोड, चामुण्डा माता भाकरी के पास, सोजत सिटी जिला पाली (306104)

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण			
1.	प्लॉट क्रमांक	प्लॉट सं. 132, (खनिज बजरी प्लॉट संख्या :-14)		
2.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, सोजत सिटी		
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	माण्डल, रानी, पाली		
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	17.0331 हैक्टेयर		
5.	खनिज	बजरी		
6.	स्थिर भाटक	रुपये 8,000/- (प्रति हैक्टेयर) प्रतिवर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
7.	रॉयल्टी की दर	रुपये - 50/- (प्रति टन) एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
8.	प्रीमियम की आरक्षित दर	रुपये - 30,81,324 /-		
9.	भूमि का प्रकार	गै.मू. नमी राजकीय भूमि		
10.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ (PILLAR)	अक्षान्तर (LATITUDE)	देशान्तर (LONGITUDE)
		A	25°-25'-51.685298"	73°-16'-20.240096"
		B	25°-25'-50.193175"	73°-16'-30.320466"
		C	25°-24'-22.963809"	73°-16'-38.045327"
		D	25°-24'-24.906336"	73°-16'-26.680834"

खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग,
सोजत सिटी

खनि अभियन्ता
खान एवं भू विज्ञान विभाग
सोजत सिटी (पाली)

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, जोधपुर

डेलिनियेशन प्लॉट ग्राम बाला व लाम्बा तहसील बिलाडा

क्रम संख्या		विवरण																		
1	प्लॉट क्रमांक	BJRJD-10																		
2	खनिज	बजरी																		
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता हैं	खनि अभियन्ता, जोधपुर																		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला	बाला व लाम्बा, बिलाडा, जोधपुर (ग्रामीण)																		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	88.7148 हैक्टेयर																		
6	स्थिर भाटक	रुपये 709720/-प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																		
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि (गैर मुमकिन नदी) खसरा न. 276 व 1503																		
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table><tr><td>Line</td><td>सीमा स्तम्भ</td><td>अक्षान्तर (Latitude)</td><td>देशान्तर (Longitude)</td></tr><tr><td rowspan="2">Up stream</td><td>A</td><td>26°-11'-5.808''</td><td>73°-33'-43.253''</td></tr><tr><td>B</td><td>26°-11'-2.653''</td><td>73°-33'-38.119''</td></tr><tr><td rowspan="2">Down stream</td><td>C</td><td>26°-11'-17.008''</td><td>73°-32'-34.623''</td></tr><tr><td>D</td><td>26°-11'-22.968''</td><td>73°-32'-33.012''</td></tr></table>	Line	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	Up stream	A	26°-11'-5.808''	73°-33'-43.253''	B	26°-11'-2.653''	73°-33'-38.119''	Down stream	C	26°-11'-17.008''	73°-32'-34.623''	D	26°-11'-22.968''	73°-32'-33.012''
Line	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)																	
Up stream	A	26°-11'-5.808''	73°-33'-43.253''																	
	B	26°-11'-2.653''	73°-33'-38.119''																	
Down stream	C	26°-11'-17.008''	73°-32'-34.623''																	
	D	26°-11'-22.968''	73°-32'-33.012''																	


खनि अभियन्ता,
जोधपुर

राजस्थान-सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, भीलवाड़ा (राज.)

EMAIL ID- ME.BHILWARA@RAJASTHAN.GOV.IN PHONE NO. 01482-240262

क्र.सं.	प्लॉट विवरण																							
1	प्लॉट क्रमांक	BJ-40																						
2	खनिज	बजरी																						
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा																						
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	राजस्व ग्राम गुआरड़ी तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा																						
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	95.8210 हैक्टेयर																						
6	स्थिर भाटक	रुपये 7,66,568/- प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																						
7	भूमि का प्रकार	राजकीय गे.मु. नदी ख.सं.-732																						
8	प्लॉट के Up Stream व Down Stream के अक्षान्तर (Latitude) व देशान्तर (Longitude)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Line</th><th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Up Stream</td><td>A</td><td>25° 14' 25.29923"</td><td>74° 38' 24.13216"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25° 14' 25.87563"</td><td>74° 38' 46.10605"</td></tr> <tr> <td rowspan="3">Down Stream</td><td>C</td><td>25° 15' 21.68387"</td><td>74° 38' 29.38913"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25° 15' 15.63218"</td><td>74° 38' 44.62236"</td></tr> <tr> <td>E</td><td>25° 15' 06.56765"</td><td>74° 38' 48.27995"</td></tr> </tbody> </table>		Line	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	Up Stream	A	25° 14' 25.29923"	74° 38' 24.13216"	B	25° 14' 25.87563"	74° 38' 46.10605"	Down Stream	C	25° 15' 21.68387"	74° 38' 29.38913"	D	25° 15' 15.63218"	74° 38' 44.62236"	E	25° 15' 06.56765"	74° 38' 48.27995"
Line	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)																					
Up Stream	A	25° 14' 25.29923"	74° 38' 24.13216"																					
	B	25° 14' 25.87563"	74° 38' 46.10605"																					
Down Stream	C	25° 15' 21.68387"	74° 38' 29.38913"																					
	D	25° 15' 15.63218"	74° 38' 44.62236"																					
	E	25° 15' 06.56765"	74° 38' 48.27995"																					


खनि अभियन्ता
भीलवाड़ा,

राजस्थान-सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, टोंक

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	37 (खनिज बजरी के लिए प्लॉट नं. 8)	
2	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	सहायक खनि अभियन्ता, टोंक	
3	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	राजस्व ग्राम पालड़ा तहसील टोंक जिला टोंक	
4	प्लॉट का क्षेत्रफल	62.64 हेक्टेयर	
5	खनिज	बजरी	
6	स्थिर भाटक (Dead Rent)	5,01,120/- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	रॉयल्टी दर	रुपये 50/- प्रतिटन एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
8	प्रीमियम की आरक्षित दर	रुपये 25,05,600/-	
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि (गैर मुमकिन नदी)	
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर		
	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर
	A	26°07'30.48850"	75°39'23.81807"
	B	26°07'30.52159"	75°39'16.54447"
	C	26°07'44.64977"	75°39'23.44373"
	D	26°07'46.99043"	75°39'27.80904"
	E	26°08'00.05214"	75°39'37.13097"
	F	26°08'22.85708"	75°39'46.47256"
	G	26°08'35.04272"	75°39'51.59899"
	H	26°08'50.16891"	75°40'00.80994"
	I	26°08'45.95861"	75°40'14.13481"
	J	26°08'29.41528"	75°39'59.40059"
	K	26°08'10.37930"	75°39'48.28438"
	L	26°08'11.17534"	75°39'44.71512"
	M	26°07'58.41462"	75°39'44.59272"
	N	26°07'44.02017"	75°39'33.71835"
	O	26°07'41.68117"	75°39'29.60522"
	P	26°07'30.48850"	75°39'23.81807"

(Signature)
सहायक खनि अभियन्ता,
टोंक

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, सिरौही

क्र. सं.	प्लॉट का विवरण																							
1	प्लॉट क्रमांक	BJ- 5/2023																						
2	खनिज	बजरी																						
3	कार्यालय का नाम जहा खननपट्टा आता है	खनि अभियन्ता, सिरौही																						
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम तहसील व जिला	ग्राम अवाड़ा खसरा संख्या- 213 व 214 किस्म- नदी ग्राम डिडवनाखेड़ा खसरा संख्या 1 व 152 किस्म- नदी																						
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	42.2571 हैक्टेयर																						
6	स्थिरभाटक	रुपये 3,38,057/- (अक्षरे तीन लाख अडतीस हजार अठावन रुपये मात्र) आरएमएमसीआर 2017 के शिड्युल III के अनुसार तथा समय-समय पर होने वाले संशोधनो के अनुसार																						
7	भूमि का प्रकार	किस्म- नदी, राज. सरकार																						
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भ के अक्षान्तर व देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Line</th><th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Up stream</td><td>A</td><td>24°34'10.51304"</td><td>72°30'06.41449"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>24°34'14.31749"</td><td>72°30'01.79116"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>24°34'19.10542"</td><td>72°29'58.11976"</td></tr> <tr> <td rowspan="2">Down stream</td><td>D</td><td>24°33'59.09452"</td><td>72°28'52.32068"</td></tr> <tr> <td>E</td><td>24°34'11.55377"</td><td>72°28'51.11730"</td></tr> </tbody> </table>		Line	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	Up stream	A	24°34'10.51304"	72°30'06.41449"	B	24°34'14.31749"	72°30'01.79116"	C	24°34'19.10542"	72°29'58.11976"	Down stream	D	24°33'59.09452"	72°28'52.32068"	E	24°34'11.55377"	72°28'51.11730"
Line	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)																					
Up stream	A	24°34'10.51304"	72°30'06.41449"																					
	B	24°34'14.31749"	72°30'01.79116"																					
	C	24°34'19.10542"	72°29'58.11976"																					
Down stream	D	24°33'59.09452"	72°28'52.32068"																					
	E	24°34'11.55377"	72°28'51.11730"																					

(चन्दन कुमार)
खनि अभियन्ता, सिरौही

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सोजत सिटी, जिला पाली
खनिज भवन, वाटर वर्क्स रोड, चामुण्डा माता भाकरी के पास, सोजत सिटी जिला पाली (306104)

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण			
1.	प्लॉट क्रमांक	प्लॉट सं. 124, (खनिज बजरी प्लॉट संख्या :-06)		
2.	कार्यालय का नाग जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, सोजत सिटी		
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	दिवान्दी, रोहट, पाली		
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	88.5774 हैक्टेयर		
5.	खनिज	बजरी		
6.	स्थिर भाटक	रुपये - 8,000/- (प्रति हैक्टेयर) प्रतिवर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
7.	रॉयल्टी की दर	रुपये - 50/- (प्रति टन) एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
8.	प्रीमियम की आरक्षित दर	रुपये - 35,43,096/-		
9.	भूमि का प्रकार	गै.मु. नदी व गै.मु. बाला राजकीय भूमि		
10.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ (PILLAR)	अक्षांतर (LATITUDE)	देशान्तर (LONGITUDE)
		A	25° 53' 28.321797"	72° 50' 40.843465"
		B	25° 53' 29.687900"	72° 50' 43.044706"
		C	25° 53' 36.664025"	72° 50' 45.666469"
		D	25° 53' 31.150135"	72° 51' 47.162792"
		E	25° 53' 17.289578"	72° 51' 47.166833"


खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग,
सोजत सिटी

खनि अभियन्ता
सोजत सिटी


खनि अभियन्ता
सोजत सिटी

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, जोधपुर

एनेक्शर - 7

डेलिनियेशन प्लॉट ग्राम झाक तहसील बिलाडा

क्रम संख्या		विवरण																		
1	प्लॉट क्रमांक	BJRJD-12																		
2	खनिज	बजरी																		
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता हैं	खनि अभियन्ता, जोधपुर																		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला	झाक, बिलाडा, जोधपुर (ग्रामीण)																		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	80.6987 हैक्टेयर																		
6	स्थिर भाटक	रुपये 645592/-प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																		
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि (गैर मुमकिन नदी) खसरा न. 843																		
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table><tr><th>Line</th><th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr><tr><td rowspan="2">Up stream</td><td>A</td><td>26°-17'-11.663''</td><td>73°-48'-38.68''</td></tr><tr><td>B</td><td>26°-16'-58.604''</td><td>73°-48'-36.644''</td></tr><tr><td rowspan="2">Down stream</td><td>C</td><td>26°-16'-26.07''</td><td>73°-47'-31.448''</td></tr><tr><td>D</td><td>26°-16'-36.257''</td><td>73°-47'-17.773''</td></tr></table>	Line	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	Up stream	A	26°-17'-11.663''	73°-48'-38.68''	B	26°-16'-58.604''	73°-48'-36.644''	Down stream	C	26°-16'-26.07''	73°-47'-31.448''	D	26°-16'-36.257''	73°-47'-17.773''
Line	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)																	
Up stream	A	26°-17'-11.663''	73°-48'-38.68''																	
	B	26°-16'-58.604''	73°-48'-36.644''																	
Down stream	C	26°-16'-26.07''	73°-47'-31.448''																	
	D	26°-16'-36.257''	73°-47'-17.773''																	


खनि अभियन्ता,
जोधपुर

राजस्थान-सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, टोंक

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण																						
1	प्लॉट क्रमांक	38 (खनिज बजरी के लिए प्लॉट न. 9)																					
2	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	सहायक खनि अभियन्ता, टोंक																					
3	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	राजस्व ग्राम बोरदा तहसील टोंक जिला टोंक																					
4	प्लॉट का क्षेत्रफल	40.75 हैक्टेयर																					
5	खनिज	बजरी																					
6	स्थिर भाटक (Dead Rent)	3,26,000 /- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																					
7	रॉयल्टी दर	रुपये 50/- प्रतिटन एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																					
8	प्रीमियम की आरक्षित दर	रुपये 16,30,000 /-																					
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि (गैर मुमकिन नदी)																					
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर</th><th>देशान्तर</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td>26°08'46.03145"</td><td>75°40'14.13547"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>26°08'50.24174"</td><td>75°40'0.81060"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>26°09'12.35698"</td><td>75°40'14.84122"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>26°09'6.88414"</td><td>75°40'35.58297"</td></tr> <tr> <td>E</td><td>26°08'55.61922"</td><td>75°40'26.41505"</td></tr> <tr> <td>F</td><td>26°08'46.03145"</td><td>75°40'14.13547"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर	A	26°08'46.03145"	75°40'14.13547"	B	26°08'50.24174"	75°40'0.81060"	C	26°09'12.35698"	75°40'14.84122"	D	26°09'6.88414"	75°40'35.58297"	E	26°08'55.61922"	75°40'26.41505"	F	26°08'46.03145"	75°40'14.13547"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर																					
A	26°08'46.03145"	75°40'14.13547"																					
B	26°08'50.24174"	75°40'0.81060"																					
C	26°09'12.35698"	75°40'14.84122"																					
D	26°09'6.88414"	75°40'35.58297"																					
E	26°08'55.61922"	75°40'26.41505"																					
F	26°08'46.03145"	75°40'14.13547"																					

दुर्गा
सहायक खनि अभियन्ता,
टोंक

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सोजत सिटी, जिला पाली
खनिज भवन, वाटर वर्क्स रोड., चामुण्डा माता भाकरी के पास, सोजत सिटी जिला पाली (306104)

क्रम संख्यां	प्लॉट का विवरण			
1.	प्लॉट क्रमांक	प्लॉट सं. 119, (खनिज बजरी प्लॉट संख्या :-01)		
2.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, सोजत सिटी		
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	दादाई, देसूरी, पाली		
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	53.1472 हैक्टेयर		
5.	खनिज	बजरी		
6.	स्थिर भाटक	रूपये - 8,000/- (प्रति हैक्टेयर) प्रतिवर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
7.	रॉयल्टी की दर	रूपये - 50/- (प्रति टन) एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
8.	प्रीमियम की आरक्षित दर	रूपये - 21,25,888/-		
9.	भूमि का प्रकार	गै.मु. नदी, राजकीय भूमि		
10.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ (PILLAR)	अक्षान्तर (LATITUDE)	देशान्तर (LONGITUDE)
		A	25° 19' 55.59624"	73° 21' 51.51228"
		B	25° 19' 48.92705"	73° 21' 49.10249"
		C	25° 19' 09-93396"	73° 23' 05.96407"
		D	25° 19' 17.27086"	73° 23' 08.54257"


खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग,
सोजत सिटी


खनि अभियन्ता
खान एवं भू विज्ञान विभाग
सोजत सिटी (पाली)

राजस्थान—सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, भीलवाड़ा (राज.)

EMAIL ID- ME.BHILWARA@RAJASTHAN.GOV.IN PHONE NO. 01482-240262

क्र.सं.	प्लॉट विवरण																							
1	प्लॉट क्रमांक	BJ-21																						
2	खनिज	बजरी																						
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा																						
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	राजस्व ग्राम अभयपुरा, बागूदार तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा																						
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	97.9452 हैक्टेयर																						
6	स्थिर भाटक	रूपये 7,83,568 /— प्रतिवर्ष एवं समय—समय पर होने वाले संशोधनानुसार																						
7	भूमि का प्रकार	राजकीय गे.मु. नदी ग्राम अभयपुरा ख.सं.—1, ग्राम बागूदार ख.सं.— 470, 574																						
8	प्लॉट के Up Stream व Down Stream के अक्षान्तर (Latitude) व देशान्तर (Longitude)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Line</th><th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर (Latitude)</th><th>देशान्तर (Longitude)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Up Stream</td><td>A</td><td>25° 30' 20.14570"</td><td>75° 07' 25.37568"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25° 30' 27.47201"</td><td>75° 07' 11.42217"</td></tr> <tr> <td rowspan="3">Down Stream</td><td>C</td><td>25° 30' 56.13750"</td><td>75° 08' 34.3020"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25° 31' 04.46730"</td><td>75° 08' 30.9266"</td></tr> <tr> <td>E</td><td>25° 31' 12.87810"</td><td>75° 08' 28.7117"</td></tr> </tbody> </table>		Line	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	Up Stream	A	25° 30' 20.14570"	75° 07' 25.37568"	B	25° 30' 27.47201"	75° 07' 11.42217"	Down Stream	C	25° 30' 56.13750"	75° 08' 34.3020"	D	25° 31' 04.46730"	75° 08' 30.9266"	E	25° 31' 12.87810"	75° 08' 28.7117"
Line	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)																					
Up Stream	A	25° 30' 20.14570"	75° 07' 25.37568"																					
	B	25° 30' 27.47201"	75° 07' 11.42217"																					
Down Stream	C	25° 30' 56.13750"	75° 08' 34.3020"																					
	D	25° 31' 04.46730"	75° 08' 30.9266"																					
	E	25° 31' 12.87810"	75° 08' 28.7117"																					


खनि अभियन्ता
 भीलवाड़ा,

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सोजत सिटी, जिला पाली
खनिज भवन, वाटर वर्क्स रोड, चामुण्डा माता भाकरी के पास, सोजत सिटी जिला पाली (306104)

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण			
1.	प्लॉट क्रमांक	प्लॉट सं. 125, (खनिज बजरी प्लॉट संख्या :-07)		
2.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, सोजत सिटी		
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	दिवान्दी, रोहट, पाली		
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	108.1318 हैक्टेयर		
5.	खनिज	बजरी		
6.	स्थिर भाटक	रुपये - 8,000/- (प्रति हैक्टेयर) प्रतिवर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
7.	रॉयल्टी की दर	रुपये - 50/- (प्रति टन) एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार		
8.	प्रीमियम की आरक्षित दर	रुपये - 43,25,272/-		
9.	भूमि का प्रकार	गै.मु. नदी, राजकीय भूमि		
10.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	सीमा स्तम्भ (PILLAR)	अक्षान्तर (LATITUDE)	देशान्तर (LONGITUDE)
		A	25° 52' 24.103306"	72° 50' 22.443534"
		B	25° 52' 12.276425"	72° 50' 22.497143"
		C	25° 52' 11.772291"	72° 50' 22.612870"
		D	25° 52' 56.580639"	72° 52' 24.126232"
		E	25° 52' 47.737095"	72° 52' 18.464363"
		F	25° 52' 34.398817"	72° 52' 05.982312"

खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग,
सोजत सिटी

खनि अभियन्ता
सोजत सिटी

खान
सोजत सिटी

राजस्थान-सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, टोंक

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण																																																	
1	प्लॉट क्रमांक	39 (खनिज बजरी के लिए प्लॉट न. 10)																																																
2	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	सहायक खनि अभियन्ता, टोंक																																																
3	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	राजस्व ग्राम बोरदा तहसील टोंक जिला टोंक																																																
4	प्लॉट का क्षेत्रफल	88.2944 हेक्टेयर																																																
5	खनिज	बजरी																																																
6	स्थिर भाटक (Dead Rent)	7,06,360 /- रुपये प्रतिवर्ष एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																																																
7	रॉयल्टी दर	रुपये 50 /- प्रतिटन एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार																																																
8	प्रीमियम की आरक्षित दर	रुपये 35,31,800 /-																																																
9	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि (गैर मुमुकिन नदी)																																																
10	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ</th><th>अक्षान्तर</th><th>देशान्तर</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>A</td><td>26°09'6.88414"</td><td>75°40'35.58297"</td></tr> <tr><td>B</td><td>26°09'12.35698"</td><td>75°40'14.84122"</td></tr> <tr><td>C</td><td>26°09'19.65299"</td><td>75°40'21.22498"</td></tr> <tr><td>D</td><td>26°09'42.00853"</td><td>75°40'51.86877"</td></tr> <tr><td>E</td><td>26°09'46.15084"</td><td>75°41'0.92998"</td></tr> <tr><td>F</td><td>26°09'49.04727"</td><td>75°41'19.71223"</td></tr> <tr><td>G</td><td>26°09'51.51662"</td><td>75°41'27.79854"</td></tr> <tr><td>H</td><td>26°09'43.05436"</td><td>75°41'39.67000"</td></tr> <tr><td>I</td><td>26°09'35.57519"</td><td>75°41'8.06936"</td></tr> <tr><td>J</td><td>26°09'35.51539"</td><td>75°41'2.63091"</td></tr> <tr><td>K</td><td>26°09'33.59628"</td><td>75°40'57.54687"</td></tr> <tr><td>L</td><td>26°09'21.65380"</td><td>75°40'43.93873"</td></tr> <tr><td>M</td><td>26°09'11.17335"</td><td>75°40'41.40690"</td></tr> <tr><td>N</td><td>26°09'6.44607"</td><td>75°40'37.96635"</td></tr> <tr><td>O</td><td>26°09'6.88414"</td><td>75°40'35.58297"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर	A	26°09'6.88414"	75°40'35.58297"	B	26°09'12.35698"	75°40'14.84122"	C	26°09'19.65299"	75°40'21.22498"	D	26°09'42.00853"	75°40'51.86877"	E	26°09'46.15084"	75°41'0.92998"	F	26°09'49.04727"	75°41'19.71223"	G	26°09'51.51662"	75°41'27.79854"	H	26°09'43.05436"	75°41'39.67000"	I	26°09'35.57519"	75°41'8.06936"	J	26°09'35.51539"	75°41'2.63091"	K	26°09'33.59628"	75°40'57.54687"	L	26°09'21.65380"	75°40'43.93873"	M	26°09'11.17335"	75°40'41.40690"	N	26°09'6.44607"	75°40'37.96635"	O	26°09'6.88414"	75°40'35.58297"
सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर																																																
A	26°09'6.88414"	75°40'35.58297"																																																
B	26°09'12.35698"	75°40'14.84122"																																																
C	26°09'19.65299"	75°40'21.22498"																																																
D	26°09'42.00853"	75°40'51.86877"																																																
E	26°09'46.15084"	75°41'0.92998"																																																
F	26°09'49.04727"	75°41'19.71223"																																																
G	26°09'51.51662"	75°41'27.79854"																																																
H	26°09'43.05436"	75°41'39.67000"																																																
I	26°09'35.57519"	75°41'8.06936"																																																
J	26°09'35.51539"	75°41'2.63091"																																																
K	26°09'33.59628"	75°40'57.54687"																																																
L	26°09'21.65380"	75°40'43.93873"																																																
M	26°09'11.17335"	75°40'41.40690"																																																
N	26°09'6.44607"	75°40'37.96635"																																																
O	26°09'6.88414"	75°40'35.58297"																																																

(हस्ताक्षर)
सहायक खनि अभियन्ता,
टोंक